जल, जंगल, ज़मीन पर हमारा हक

सुहास कुमार

पिछले दस सालों से मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, मालवा, बुंदेलखंड, मध्यभारत आदि क्षेत्रों में कई स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं ने जंगल और जमीन पर लोगों के अधिकार को लेकर एक जबरदस्त संघर्ष छेड़ा है। पिछले तीन सालों में "एकता परिषद्" संगठन ने इसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया है।

यहां अधिकतर किसान भूमिहीन हैं। जमींदारी उन्मूलन सीलिंग कानून लागू होने के बावजूद न तो उन्हें जमीन पर कब्जा मिला है, न ही पट्टा। इस आंदोलन से कई जगहों में गरीब, भूमिहीन लोगों को जमीन पर कब्जा मिला।

एक अहम सवाल ?

"एकता परिषद" का मकसद सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकल्प बनाना भी है। कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे गांव के सब लोग फायदा उठा सकें। जमीन पर सामूहिक कब्जा कायम रखने के लिए क्या किया जा सकता है? सबको पानी मिले, वैकल्पिक ईंधन मिले ताकि जंगलों को बचाया जा सके। भूमि से जुड़ी समस्याओं एवं उन्हें हल करने संबंधी विषयों को लेकर सितंबर '92 में एक कार्यशाला की गई जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के "एकता परिषद" के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

संभावित विकल्प

दुर्ग के गोकरण जी ने जो कई सालों से पट्टे के संघर्ष से जुड़े हुए हैं, बताया कि पट्टे के लिए सरकारी दफ्तरों के आगे विरोध और घेराव से ज्यादा महत्वपूर्ण है गांववालों की सोच और समझ बढ़ाना।

कुमारी बिरिया ने बताया कि गरीबों के पास बहुत ही कम जमीन है और संसाधन बिल्कुल ही नहीं। वे बीजों के लिए जमींदारों पर ही निर्भर करते हैं। कई जगह जहां किसानों को एक जगह जमीन दी, कुछ दिनों में सामूहिक खेती नहीं चल पाती है।

गोचर भूमि के उपयोग के अधिकार की चर्चा की गई। मेंहदी लाल यादव ने बताया कि उन्होंने गांववालों के साथ मिलकर एक चेक बांध तैयार किया है जिससे करीब 100 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। धार जिले की सीता बहन का कहना था कि गांववाले जब तक अपनी ज़रूरत नहीं समझेंगें, तब तक हमारे लिए कुछ कर पाना संभव नहीं है।

जबलपुर के रीठी ब्लाक में काम कर रही चंदा बहन ने बताया कि किस प्रकार यहां के पटवारी गरीब किसानों को जमीन के मामलों में परेशान

कर रहे हैं। लाल मिट्टी में सिर्फ धान की फसल हो सकती है लेकिन पानी की कमी की वजह से यह भी मुश्किल से हो पाती है। अकसर ही कम बारिश की वजह से सूखा पड़ जाता है। जमीन भी समतल नहीं है।

सभी सहयोगी भागीदार भाटापाड़ा गए। वहां 66 भूमिहीन परिवारों को 146.57 एकड़ जमीन दी गई। वहां "एकता परिषद" 50 एकड़ वनों की भूमि का संरक्षण भी कर रही है।

कठिनाइयां

गांववालों ने बताया कि अभी भी सिंचाई की समस्या है। सरकारी योजनाओं के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। बीज और रासायनिक खादों के दाम बढ़े हैं। जमीन ढलवां है इसलिए ऊपर की जमीन पर ज्यादातर खेती नहीं हो पाती है। पानी ठीक से मिले तो पैदावार बढ़ाई जा सकती है। लोगों का कहना था कि गहरे नलकूप लगाए जाएं तो सामूहिक सिंचाई की जा सकती है।

पानी पंचायत के बारे में बातचीत की गई।

पानी पंचायत की सोच 1972 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ने के बाद से शुरू हुई। पुणे जिले में पिछले 15 सालों से 20 गांवों में पानी पंचायत काम कर रही है। इसमें भूमिहीन लोगों का भी पानी पर अधिकार है। पानी पंचायत की नीतियां—

— घर के सदस्यों के अनुपात से पानी का बंटवारा।
— ज्यादा पानी वाली फसलों के लिए वर्षा के पानी का इस्तेमाल।
— भूमिहीनों को भी पानी पर बराबर का हक।
— पानी के लिए 1/4 खर्चा किसानों को खुद करना पड़ेगा।
— पूरी जमीन का ठीक से उपयोग करना होगा।

पानी पंचायत के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए लिखें:—श्री बी.आर. सालुंके, "पानी पंचायत" पोस्ट बा. न. 1202, 67 हाडपसर इंडस्ट्रियल ऐस्टेट, पुणे-411013 (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के राले गांव—सिद्धी में अन्ना साहेब हज़ारे सूखा पीड़ित क्षेत्र में बरसात के पानी को छोटे-छोटे बांधों से रोक कर सिंचाई का बंदोबस्त करते हैं। अब यह गांव पूरे साल हरा-भरा दिखाई देता है। गरीब किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए लिखें:—श्री अन्ना साहब हज़ारे, राले गांव सिद्धी वाया परनर तहसील, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र-414302।

जिधर गंगा बहती है वहां सूखा क्यों? देश में जब पानी का अभाव नहीं है तो खेती के लिए पानी कम क्यों मिलता है? असल में यह हमारी सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अभी जो देश में कृषि नीति है उसमें बहुत से सुधारों की ज़रूरत है। कार्यशाला में इस पर बातचीत हुई।

नई कृषि नीति कैसी हो?

- ग्राम सभा के माध्यम से जमीन का समान वितरण।
- छोटे किसानों को बढ़ावा देना ताकि वह खेती से पूरा फायदा उठा सकें।
- अधिक पैदावार देने वाले देशी बीजों के लिए बढ़ावा देना।
- कम्पोस्ट खाद, गोबर खाद और स्थानीय कीड़े मारने वाली दवाइयों को बढ़ावा।
- ज़रूरी कृषि मशीनों के इस्तेमाल के लिए बढ़ावा।
- लघु सिंचाई योजना को बढ़ावा।
- ऐसे कर्मचारी रखे जाएं जो इन नीतियों को लागू करने में मदद करें।
- सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम को तेजी से

चलवाए।

- भूमि संबंधी अधिकारों पर ग्राम-सभा का नियंत्रण।
- उद्योग नीति ऐसी हो जिससे कृषि को बढ़ावा व मदद मिले।
- सामूहिक खेती करने वाले छोटे किसानों को सरकारी अनुदान के खास फायदे मिल सकें।
- पशु-आधारित खेती के काम को बढ़ावा।
- बड़ी-बड़ी मशीनों के बजाए स्थानीय औजारों को प्राथमिकता।
- कृषि-उपज का मूल्य गांवों की समिति के माध्यम से हो।
- जमीन संबंधी कानूनी जानकारी।
- जमीन एवं सिंचाई संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी।
- जल, जंगल, जमीन पर लोगों के हक के बारे में प्रशिक्षण।
- वन भूमि पर सरकारी नीति व कानून की जानकारी।
- कम्पोस्ट खाद तैयार करने के बारे में जानकारी।
- जमीन के तरह-तरह के उपयोग पर काम करने वाली संस्थाओं की जानकारी।

इन सभी पर सामूहिक रूप से काम करने से काफी समस्याओं के हल निकाले जा सकते हैं।

"धरती और लोग" पर आधारित